



## पंचदश बिहार विधान सभा

### अष्टम् सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमाबली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-04.04.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अशोक कुमार, स०वि०स०	"बाहन उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा डीलर प्वाइट पर परिवहन वाहन पंजीकरण का प्रावधान किया गया है, लेकिन डीलर प्वाइट पर पंजीकरण के लिए संस्थागत रूप से अधिक राशि की वसूली की जा रही है। सोनाली ऑटो द्वारा जिस गाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क (XUV-500) एकमुस्त 93,400/-रूपए लिया जाता है उसका वास्तविक शुल्क 83,937/-रूपए होता है। आस्था मोटर द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के रूप में विभिन्न मॉडलों के लिए 3,750/- से 5,750/- रूपये अधिक लिया जाता है।"	
2.	श्री भ्रवण कुमार, स०वि०स०	इस प्रकार संबंधित स्थानीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से पटना सहित राज्य के सभी डीलरों एवं फाइनांसरों द्वारा चौपहिया एवं दुपहिया वाहनों के क्रेता से क्रमशः 3,750/-रूपए से 9,000/-रूपए एवं 1,000/-रूपए से 1,600/-रूपए अधिक लिया जा रहा है।	
3.	श्री रत्नेश साहा, स०वि०स०	'अस्थाई पंजीकरण के लिए 90/-रूपए की जगह 500/-रूपए और 200/-रूपए की जगह 1,000/-रूपए लिया जाता है। आखिर यह अधिक राशि डीलरों द्वारा किस प्रावधान के तहत लिया जा रहा है।'	
4.	श्री अरुण माझी, स०वि०स०	अतः डीलर प्वाइट पर बाहन पंजीकरण के नाम पर अधिक राशि वसूली की उच्चस्तरीय जांच कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"	

अतः डीलर प्वाइट पर बाहन पंजीकरण के नाम पर अधिक राशि वसूली की उच्चस्तरीय जांच कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

1	2	3	4
2. श्री रमेश ऋषिदेव, स०वि०स० श्री नीरज कुमार सिंह, स०वि०स० श्री अनिलद्वय प्रसाद यादव, स०वि०स०	"कैमूर जिलान्तर्गत अंचल रामपुर(भगवानपुर) थाना बेलाव के श्री बारी मुशहर, पे. श्री प्रभु मुशहर, श्री परदेशी मुशहर, पे. प्रभु मुशहर, श्री भुनेश्वर मुशहर, पे. प्रभु मुशहर, पे. श्री डोमन मुशहर को क्रमशः 2.13.1/2, 1.86.1/2, 1.9.1/2 एवं 2.39.1/2 एकड़ जमीन भूमि सुधार वाद संख्या-123/283 और उप-समाहर्ता, भूमि सुधार के आदेश दिनांक-31.05.1958 के द्वारा भूदान यज्ञ कानून 1954 की धारा 22 के अनुसार दान को संपुष्ट है तथा विहार भूदान यज्ञ समिति, रोहतास द्वारा उक्त महादलित परिवारों को जमीन का प्रमाण पत्र दिया गया है, लेकिन विजय शंकर पांडे, पे. स्व. चन्द्रदेव पांडे, श्री अशोक पाण्डेय उर्फ मुना पाण्डेय, श्री अनिल पांडे, पिता श्री विजय शंकर पाण्डेय द्वारा उक्त महादलित को जमीन से बेदखल कर दिया गया है। अतः उक्त महादलित को विहार भूदान यज्ञ समिति से मिली जमीन पर कब्जा दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।"		राजस्व एवं भूमि सुधार

फूल झा

प्रभारी सचिव,

विहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/13- 413

/ वि०स०, पटना, दिनांक- ३ अप्रौल, 2013 ई० ।

प्रति :- विहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, विहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, विहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, विहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / परिवहन विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजकुमार रजक)

उप सचिव,

विहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/13- 413

/ वि०स०, पटना, दिनांक- ३ अप्रौल, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, विहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

(राजकुमार रजक)

उप सचिव,

विहार विधान सभा, पटना।

(राजकुमार रजक)